

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठारसीन अधिकारी-आव्हद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
11/2024

दायर दिनांक
18.01.2024
उनवान

निर्णय दिनांक
26.02.2024


1. शंकर लाल पुत्र श्री मांगी लाल जाट आयु वयस्क निवासी हलेड तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. जगदीश पुत्र श्री देवी लाल जाट आयु वयस्क निवासी हलेड तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा जरिये सचिव
2. ग्राम पंचायत भोली पं.सं. सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा जरिये ग्राम विकास अधिकारी (सचिव)
3. हीरा लाल पुत्र श्री गोकल जाट आयु वयस्क निवासी सबलपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. आशा पुत्री श्री जोधा जाट आयु वयस्क निवासी सबलपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. उदा पुत्र श्री ऊंकार जाट आयु वयस्क निवासी- सबलपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. गोपाल पुत्र श्री जोधा जाट आयु वयस्क निवासी- सबलपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. माधु पुत्र श्री ऊंकार जाट आयु वयस्क निवासी- सबलपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. रामू पत्नी श्री जोधा जाट आयु वयस्क निवासी- सबलपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
9. शंकर लाल पुत्र श्री जोधा जाट आयु वयस्क निवासी- सबलपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
10. श्याम लाल पुत्र श्री जोधा जाट आयु वयस्क निवासी- सबलपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
11. सोनाथ पुत्र श्री श्रीराम जाट आयु वयस्क निवासी- सबलपुरा तहसील एक जिला भीलवाड़ा (राज०)
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

-विपक्षीगण


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी मुकेश कुमार भाण्ड
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 11 उपस्थित नहीं

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भोली प0ह0 भोली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074-2077 के खाता संख्या 552 की अभिलिखित आराजियात 15/1 कुल किता 01 कुल रकबा 4.0464 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं।

वकील प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि के सीमाचिन्ह नहीं होने से पत्थरगढी करवाने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 11 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा भोली प0ह0 भोली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074-2077 के खाता संख्या 552 की अभिलिखित आराजियात 15/1 कुल किता 01 कुल रकबा 4.0464 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा भोली प0ह0 भोली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 552 की अभिलिखित आराजियात 15/1 कुल किता 01 कुल रकबा 4.0464 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आह्वाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपस्थपड अधिकारी

भीलवाडा